



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771-2282530/2285590/95 मेल- [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

No- CHG/RAP/LST-67/RPR

दिनांक -14.01.2021

प्रेषिति-

श्री नवीश उपाध्याय,  
खान मालिक एवं पट्टेदार,  
एम.आई.जी. -83, टाटीबन्ध,  
पोस्ट ऑफिस एव जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001  
Email: manojsharma.jsc@gmail.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपकी भरूयाडीह चूना पत्थर खदान 3.11 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 29.12.2021 by undersigned accompanied by Shri Manoj Kumar Sharma, Mine owner Representative & Shri Arvind Singh, Qualified Person.

Rule	Nature of Violation observed
26(2)	The holder of mining lease shall submit to the competent authority a yearly report as per format specified by Indian Bureau of Mines, before 1 <sup>st</sup> day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reason thereof but the same is not submitted till date for 2020-21.
45(5) ©	As per the annual return submitted for the period 2020-21 it was mentioned that Manager Mine is Shri Manoj Kumar Sharma which is not correct. The fixed asset is mentioned as Nil but in return 20 TPH Crusher is mentioned.
55	Part time Mining Engineer and Geologist have not been appointed.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(क) के अंतर्गत

((क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप च1, च2, च3 में मासिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों Rule 26(2) एवं 55 का अतिशीघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

4 अतः आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर